तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व त अहकाम ज हुक्म की त में जारी
23-5-17 MD/Up 23/05/17 TDR Mandal Camp- Bhagwanpur	पद्मावती वाजस्व लोक अदालत कैम्प भगवानपुर पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी के अधि० वाद तामिल। उदग तामिल प्राप्त नहीं हुई है। वादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार करकर उपस्थित। वादी की ओर से कोई उपस्थान प्रस्तुत नहीं की गयी, तथा न ही प्रतिवादी की ओर से उपस्थान दी प्रस्तुत की गयी। प्रतिवादी ने बहस करनी चाही। प्रतिवादी की बहस करनी गयी। बहस के दौरान वादी के वाद पत्र प्रस्तुत जवाब के आधार पर वाद पत्र में निर्णय किये जाने की हस्तगत की। मैंने पद्मावती का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित फरदाजियात ग्राम भगवानपुर पटवार हल्का भगवानपुर तहसील मोतिहारी में स्थित होकर प्रकरण 510 मोतर आहत्मा 1/2 हिस्सा, रामचन्द्र 510 फानीनाथ महाजन 1/2 हिस्सा के दर्ज है। जिसकी ताईद उपस्थान राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सन 2038 के 2041 की फोटो प्रति प्रमाणित के होती है। नोटरान के वाद विवादित फरदाजियात प्रकरण 510 मोतर आहत्मा 1/2 हिस्सा रामचन्द्र 510 फानीनाथ महाजन 1/2 हिस्सा के दर्ज है। जिसकी ताईद उपस्थान राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सन 2043 के 2046, 2047 के 2050, 2051 के 2054 के होती है। किन्तु इसके बाद विवादित फरदाजियात में रामचन्द्र 510 फानीनाथ महाजन के बजाय आहत्मा 1/2 हिस्सा तथा शेष सर्व का इकाज के खिलाफ लिखा। जिसकी ताईद उपस्थान राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सन 2067 के 2070 के होती है। फार्दिक फरदाजी नं० 2073 के हाल नम्बर 411 रकबा 1 बीघा 15 धिसवा व फार्दिक फरदाजी नं० 2074 की० के हाल नम्बर 2439 रकबा 14 धिसवा, 2440 रकबा	

(नियम 26)

आर्डर अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मांडल

विनोद कुमार बनाम तहसीलदार/रा० मांडल

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. २३० सन् २०१२

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

S धीरा 07 किसा क्रामम इसे। जिकसी तारीख उपखण्ड रक्करा मिलान की उमगनित फोटो प्रति के होती है जिसके विवादित खातिद कार्यालयान प्रतिवादी मोजर प्रार्थना 1/2 हिस्सा, राजस्व S10 क्रांतीराम महाजन 1/2 हिस्सा के पक्ष में उपखण्ड दस्तावेजों व वाद पत्र में क्रेडिन तथ्यों के हेतुकार विवादित कार्यालयान वादी के पक्षकारों के नाम पर्क रेकार्ड की। जिसके वादी के पक्ष में राजस्व कोमाली द्वारा एक वसीयत नामा प्राप्त इच्छा पत्र लिखा, जिसके इच्छानुसार उन अधिकार दिया गया। जिसकी तारीख उपखण्ड वसीयत नामा की फोटो प्रति के होती है. क्योंकि पर्क उपखण्ड राजस्व S10 क्रांतीराम महाजन 1/2 हिस्सा के कब्जा प्रार्थना क्रेडिन कर दिया गया। क्रेडिन दिये जाने का किसी प्रकार का नोट क्रेडिन नहीं है क्योंकि रोटेशन के कारण प्रार्थना के महाजन के कब्जा प्रार्थना क्रेडिन कर दिया गया। जिसके आगे के रोटेशन में भी प्रार्थना चला आ रहा है. इस कारण वादी द्वारा क्रेडिन कार्यालयान में प्रार्थना के कब्जा महाजन 1/2 हिस्सा पर्क कराना चाहता है. क्योंकि विवादित कार्यालयान महाजन की है तथा महाजन का ही कब्जा है के कारण साथ जारी महाजन के कब्जा प्रार्थना पर्क किया, जिसे दुरुस्त करने प्रार्थना के कब्जा महाजन किया जाना आवश्यक है। जबकि प्रतिवादी ने भी दावे जवाब में स्पष्ट लिखा है कि राजस्व S10 क्रांतीराम प्रार्थना के महाजन क्रेडिमेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

के आधार पर भी जा सकती है. अभी है प्रतिवादी ने भी वाद पत्र के खण्डन के कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है. ऐसी स्थिति वादी का वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णीत किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद पत्र के सिद्ध करने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री वहद वादी विरुद्ध प्रतिवादी के एक आदेश की जाती है कि उक्त भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील मोडम में स्थित ग्राम रूपाजी का० 2439 रकबा 14 बिस्वा, 2440 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा 4171 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल मिला 3 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा आदि में 1/2 हिस्से का वादी के हकदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त कब्जा वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु. वाहना के बजाय मेहताना 1/2 हिस्का दर्ज किया जावे। वाद खर्चा प्रतिवादी कमला-कमला वहन करें। वहदकार डिक्री जारी होने की तारीख से 60 दिवस की अवधि में करने के हकदार होंगे।

खण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–भगवानपुरा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–230/12 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री विनोद कुमार पिता रामप्रसाद सोमाणी, उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ——प्रतिवादी

———

वादी की ओर से श्री – एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 23.5..2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील मांडल में स्थित हाल आराजी नम्बर 2439 रकबा 14 बिस्वा, 2440 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 4171 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम 1/2 हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये ब्राहम्ण के बजाय महाजन दर्ज किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(सी.एल.शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 23.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला (भीलवाड़ा)

:: संशोधित डिक्री ::

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–230/12 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री विनोद कुमार पिता रामप्रसाद सोमाणी, उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———प्रतिवादी

———

वादी की ओर से श्री शरद पालीवाल, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 23.5.2017 व 30.10.2017को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 152 जा0दी0 का स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.5.2017 में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील मांडल में स्थित हाल आराजी नम्बर 2439 रकबा 14 बिस्वा, 2440 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 4171 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्से का रामचन्द्र के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम 1/2 हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये ब्राहम्ण के बजाय महाजन दर्ज किया जावें। शेष आदेश यथावत रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(सी.एल.शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहरी से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा